TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.

F. No. 7 (102)/Rev.Estt./ 93/SR./ 841 **Dated:** 28-6-11

NOTIFICATION

1. **No. F.7(102)/Rev. Estt/93/(i)**:- In exercise of the powers conferred by sub-clause (1)(a) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act. 1887 as enforce in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **Sh. A.M. Goyal, General Manager and Sh. S.K. Dureja, Deputy General Manager of Delhi Financial Corporation,** the powers of 'Collector' under the said Act for the purpose of recovery of the dues of the Corporation as arrears of land revenue, so long as they occupy these posts.
2. **No. F.7(102)/Rev. Estt/93/(ii)**:- In exercise of the powers conferred by section 14 of the U.P. Land Revenue Act, 1901 as enforce in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint **Sh. A.M. Goyal, General Manager and Sh. S.K. Dureja, Deputy General Manager of Delhi Financial Corporation,** as 'Collector' for the purpose of recovery of the dues of the Corporation as arrears of land revenue, so long as they occupy these posts.
3. **No. F.7(102)/Rev. Estt/93/(iii)**:- In exercise of the powers conferred by section 7 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint **Sh. A.M. Goyal, General Manager and Sh. S.K. Dureja, Deputy General Manager of Delhi Financial Corporation,** as 'Assistant Collector' 1st grade for the purpose of recovery of the dues of the Corporation as arrears of land revenue, so long as they occupy these posts.
4. **No. F.7(102)/Rev. Estt/93/(iv)**:- In exercise of the powers conferred by sub section (6) of section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **Sh. A.M. Goyal, General Manager and Sh. S.K. Dureja, Deputy General Manager of Delhi Financial Corporation,** the power of 'Assistant Collector' 1st grade for the purpose of recovery of the dues of the Corporation as arrears of land revenue, so long as they occupy these posts.

BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

(Kuldeep Singh Gangar)
Addl. Secretary (Revenue)

No.F. 7 (102)/Rev.Estt./ 93/SR./ 841 **Dated:** 28-6-11

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
2. The Asstt. General Manager (P), Delhi Financial Corporation (A Govt. of Delhi undertaking), Plot No. 37-38, Pankha Road Institution Area, D-Block, Janak Puri, New Delhi-110058.
3. The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the notification on the website of this department.
4. Guard file.

(Rajiv Kumar)
Sub Divisional Magistrate -I (HQ)

Bansal
1/7/2011
Programmer

दिल्ली राजपत्र के भाग–4 में प्रकाशनार्थ
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग)
5, शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0. एफ 07(102)/रा.स्था./93/ एस.आर/ 841 दिनांक :

अधिसूचना

1. **संख्या एफ 7(102)/रा0स्था0/93 (1)** :– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रदत्त पंजाब भू–राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 की उपधारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल **श्री ए0एम0गोयल, महाप्रबन्धक** तथा **श्री एस0 के0 दुरेजा उप–महाप्रबन्धक दिल्ली वित्त निगम** को जब तक व इन पदों पर बने रहते हैं, कथित अधिनियम के अन्तर्गत निगम से सम्बन्धित भू–राजस्व के बकाया के रुप में वसूल करने हेतु "कलैक्टर" की शक्तियॉ प्रदान करते हैं :

2. **संख्या एफ07(102)/रा0स्था0/93(2)** :– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रबृत्त उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम,1901 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल **श्री ए0एम0गोयल, महाप्रबन्धक** तथा **श्री एस0 के0 दुरेजा उप–महाप्रबन्धक दिल्ली वित्त निगम** को जब तक वे इन पदों पर बने रहते हैं निगम से सम्बन्धित भू–राजस्व के बकाया के रुप में वसूल करने हेतु "कलैक्टर" नियुक्त करते हैं :

3. **संख्या एफ 07 (102)/रा0स्था0/93(3)** :– दिल्ली भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल **श्री ए0एम0गोयल, महाप्रबन्धक** तथा **श्री एस0 के0 दुरेजा उप–महाप्रबन्धक दिल्ली वित्त निगम** से संम्बन्धित भू–राजस्व के बकाया के रुप में बसूल करने हेतु "सहायक कलैक्टर", प्रथम श्रेगी नियुक्त करते हैं :

4. **संख्या एफ 07 (102)/रा0स्था0/93(4)** :– दिल्ली भूमि– सुधार धिनियम, 1954 की धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल **श्री ए0एम0गोयल, महाप्रबन्धक** तथा **श्री एस0 के0 दुरेजा उप–महाप्रबन्धक दिल्ली वित्त निगमं** को जब तक वे इन पदों पर बने रहते हैं, निगम से सम्बन्धित भू–राजस्व के बकाया के रुप में वसूल करने हेतु सहायक कलैक्टर, प्रथम श्रेणी की शक्तियॉ प्रदान करतें हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उप–राज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

(कुलदीप सिंह गंगर)
अति. सचिव (राजस्व)

C:\Documents and Settings\Ga Branch\Desktop\Power to dfc.doc

सं0. एफ 07/102/रा.स्था./93/ एस.आर/ 841 दिनांक :

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव ;सा. प्रा.विभाग, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।

2. सहायक उप-प्रबंधक (पी), दिल्ली वित्त निगम (दिल्ली सरकार का उपकर्म), प्लॉट नम्बर 37-38, पंकखा रोड इंसटूशियन एरिया, डी-ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 ।

3. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) राजस्व विभाग को इस प्रार्थना के साथ की वे इस अधिसूचना को विभाग की वेभसाईट पर डाल दें ।

4. गार्ड फाइल ।

(राजीव कुमार)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-1)